विविध

निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 61 / 2024
दायरा दिनांकः–28.10.2024
निर्णय दिनांकः– 10.05.2025

उनवान

1. सीताराम उर्फ छीतर पुत्र जगन्नाथ आयु 60 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम खोपर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 10.05.2025

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री जगदीशचन्द नागर प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136,एल0आर0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम खोपर तहसील छबडा मं भूमि खसरा नम्बर 195 / 1 रकबा 0.2529 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम छीतर पुत्र जगन्नाथ दर्ज है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी को आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व आवंटित हुई थी। उस समय प्रार्थी द्वारा अपना बोलता नाम छीतर बता दिया था तथा छीतर के नाम से ही एलोंट कर दिया गया। जबकि प्रार्थी को उस समय छीतर व सीताराम दोनो नामों से पुकारतें थे इस कारण बाद में सरकारी दस्तावेजात सीताराम के नाम से बनवा लिये गये। जो प्रार्थी द्वारा अज्ञानता वंश नाम लिखवा दिय गये है। जबकि दोनो नाम प्रार्थी के ही है। इस नाम का अन्य व्यक्ति ग्राम खोपर में निवास नही करता है। प्रार्थी का वास्तविक नाम सीताराम पुत्र जगन्नाथ है प्रार्थी समस्त सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम सीताराम पुत्र जगन्नाथ दर्ज है तथा प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम छीतर के स्थान पर छीतर उर्फ सीताराम दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का वास्तविक नाम दर्ज ना होने से प्रार्थी को काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई । वकील प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खोपर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 60 फोटो प्रति आधार कार्ड फोटो प्रति राशन कार्ड फोटो प्रति पहचान पत्र फोटो प्रति बैंक पास बुक फोटों प्रति जन आधार कार्ड पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई बहस के दौरान वकील अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खोपर तहसील छबडा में भूमि खसरा नम्बर 195/1 रकबा 0.2529 है0 भूमि स्थित है। जो प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है विवादित आराजी प्रार्थी को 40 वर्ष पूर्व आवंटित हुई थी। प्रार्थी का नाम सीताराम है परन्तु राजस्व रिकार्ड में छीतर दर्ज कर दिया। प्रार्थी का नाम अज्ञानता वंश छीतर लिखवा दिया जबकि दोनो नाम प्रार्थी के ही है इस नाम का अन्य व्यक्ति ग्राम खोपर में निवास नही करता। प्रार्थी के समस्त सरकारी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम सीताराम पुत्र जगन्नाथ दर्ज है राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम छीतर है प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में छीतर के स्थान पर सीताराम दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत होने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में छीतर के स्थान पर सीताराम दर्ज किया जावें।

तहसीलदार छबडा से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट में बताया कि ग्राम खोपर के खाता संख्या 60 खसरा नम्बर 195/1 रकबा 0.2509 है0 भूमि में वादी का नाम छीतर पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड सा0देह दर्ज रिकार्ड है उक्त रिकार्ड अनुसार सीताराम उर्फ छीतर के नाम की जानकारी ली गई। उपस्थित ग्राम वासियों से सीताराम उर्फ छीतर के बारे में पुछा तो उन्होने बताया कि सीताराम पुत्र जगन्नाथ का बोलता नाम छीतर है आधार कार्ड, दस्तावेज में छीतर का नाम सीताराम पुत्र जगन्नाथ हे उपस्थित व्यक्तियों ने दोनो नाम सीताराम पुत्र जगन्नाथ उर्फ छीतर पुत्र जगन्नाथ एक ही व्यकित के नाम होना बताया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खोपर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 60 में छीतर पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड सा0देह दर्ज है फोटो प्रति आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचन पत्र बैंक पास बुक जन आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम सीताराम पुत्र जगन्नाथ दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में छीतर व अन्य दस्तावेजों में सीताराम दर्ज है जो राजस्व रिकार्ड में गलत है। जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाना चाहता है। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का सही नाम सीताराम है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम खोपर तहसील छबडा के खसरा नम्बर 195/1 रकबा 0.2529 है0 में दर्ज प्रार्थी का नाम छीतर के स्थान पर छीतर उर्फ सीताराम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा